2/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस)

जीसीएमएस न0 2020/97
दावा संख्या 69/2020

निर्णय दिनांक 11.02.2023

1 हँसमुख पुत्र प्रेम सिह आयु 23 वर्ष जाति चारण
2 भारती बाई पुति प्रेम सिंह आयु 19 वर्ष जाति चारण
3 विशाल पुत्र प्रेम सिंह आयु 10 वर्ष नाबालिग
4 ज्योति बाई प्रति प्रेम सिंह आयु 13 वर्ष नाबालिग
जर्ये वलि माता देवल बाई पत्नि प्रेम सिंह आयु 44 वर्ष जाति चारण
5 देवल बाई पत्नि प्रेमसिह आयु 44 वर्ष जाति चारण निवासी ग्राम सामरिया तहसील कनवास जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

1 रायसिंह पुत्र नारायणसिंह आयु 82वर्ष जाति चारण 7 निवासीगण
2 प्रेम सिंह पुत्र राय सिह आयु 50 वर्ष जाति चारण, ग्राम–सामरिया तहसील कनवास जिला कोटा (राज)
3 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री रेवतीरमण नागर।
प्रतिवादी 1 ता 2 के विरूद्ध एक तरफा।
प्रतिवादी न0 3 राज सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद इन्डाज दुरुस्ती एवं हक घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RT Act.

वादीगण के द्वारा अन्तर्गत धारा 88 89 188 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एक लगायत चार प्रतिवादी न 2 की सत्ताने है तथा वादी न. 5 प्रतिवारी न 2 की पत्नि हैं तथा प्रतिवादी नं 2 प्रेम सिंह प्रतिवादी 1. रायसिंह जी का पुत्र है। माल ग्राम सामरिया पटवार हल्का सीमालिया तहसील कनवास में प्रतिवादी न 1 राय सिह जी के खाते एव कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 14 रकबा 2.69 है, ख० नं० 18 रकबा 0.05 है0 ख०न० 19 की रकबा 1.63 है०, ख०न० 62 की रकबा 1.66 है0 ख०न० 223 की रकबा 0.44 है, ख० न० 246 की रकबा 0.05 है० खसरा न0 271 की रकबा 3.45 है0, ख.नं. 368 की रकबा 2.71 है. किता 8 की रकबा 12.68 है आराजी स्थित थी, उक्त सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी न0 1 की पुश्तैनी आराजी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित पुश्तैनी आराजी प्रतिवारी नं. 1 की पुश्तैनी होने कारण वादीगण । लगायत 4 के पिता व न 5 के पति जो प्रतिवादी न.1 के पुत्र है प्रतिवारी न० २. प्रेमसिह की भी पुश्तैनी आराजी है। प्रतिवादी गण 1 रायसिंह जी के तीन पुत्र है तथा एक पुत्री है सभी का उक्त

Scanned with ACE Scanner

पुश्तैनी आराजी में बाईबर्थ राईट निहित है जबकि प्रतिवादी न० 1 रायसिंह जी के द्वारा अपने खाते की उपरोक्त वर्णित आराजी में से कुछ जमीन मनमाने तरीके से उनके पुत्र पुत्रियों के विरासत का ध्यान रखे बगैर ही तथा उनकी आराजी में रायसिंह जी के पुत्रों के पुत्र व पुत्रियों का भी हिस्सा निहित है लेकिन रायसिंहजी के द्वारा अपने खातेदारी की पुश्तैनी आराजी में से कुछ आराजी अपने पुत्रों को दान पत्र के माध्यम से अन्तरित कर दी गई है। उसी क्रम में प्रतिवादी नं० 1 राय सिंह जी के द्वारा प्रतिवारी न0 2– प्रेम सिंह जी को भी अपने खाते की पुश्तैनी आराजी में से ख0नं0 14 की रकबा 2.29 व ख0न० 271 की 3.45 में से 0.48 है0 दक्षिणी तरफ की जिसके नये नम्बर बाद तरमीम ख.न. 443/271 बनाये गये है। इस प्रकार प्रतिवारी नं. २ को जर्ये दान पत्र से प्राप्त भुमि भी प्रतिवादी न0 1 के द्वारा पृथक पृथक काश्त करने हेतु व परिवार को चलाने हेतु दी गई थी उसमें भी वादीगण का हित निहित है।

यह कि प्रतिवादी न 2 को दान पत्र में प्राप्त भूमि माल ग्राम सामरिया तहसील कनवास कनवास की खसरा न 14/1 रकबा 2.29 है व खसरा न0 443/271 की रकबा 0.48 है किता 2 की 2.77 है0 आराजी प्रतिवादी न0 2 को उनके पिता जी दान पत्र में प्राप्त होने के कारण पुश्तैनी आराजी है जिसमें वादीगण 1 लगायत 4 का प्रत्येक 1/5 हिस्सा बाईबर्थ राईट के आधार पर निहित है तथा वादी न0 5 जो प्रतिवादी न 2 की धर्म पत्नि है उसका भी उसके पति के साथ 1/5 हिस्सा निहित है प्रतिवादी न 2 उपरोक्त आराजी पर रिकार्ड में अपना स्वयं का नाम दर्ज होने के कारण उक्त आराजी का मनमाने तरीके उपभेग कर रहे है तथा वादीगण जो कि प्रतिवादी न 2 की सन्ताने व पत्नि है उनकी परवरीश नही करके अपने दुव्यसनों में आराजी की आयं को बर्बाद कर रहा है ऐसी स्थिति में वादीगण का उपरोक्त अराजी में निहित बाई बर्थ अधिकार की घोषणा करवाकर उसके रिकार्ड में दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है तथा साथ ही प्रतिवादी न0 2 को प्रतिवादी न0 1 के द्वारा उपरोक्त आराजी परिवार के पालन हेतु दी गई होने के कारण प्रतिवादी न0 2 उक्त आराजी को खुर्द–बुर्द नही करे इस पर रोक लगाने हेतु स्थाई निषेध़ाज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलवी जर्ये सम्मन की गई प्रतिवादी 1 ता 3 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जो शामिल पत्रावली किये गये प्रतिवादी क्रम 1 व 2 उपस्थित हुआ पत्रावली जवाब प्रतिवादी क्रम 1 व 2 में नियत की गई प्रतिवादी 1 व 2 द्वारा दिनांक 9.03.2021 व 16.02.2021 को अनुपस्थित रहा प्रतिवादी वादी 1 व 2 को अवाज लगाई गई प्रतिवादी 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे दिनांक 09.03.2021 को लाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब सरकार में नियत की गई पत्रावली पर तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया जवाब सरकार में तहसीलदार कनवास द्वारा वादी के वाद का खण्डन व विरोध नही किया गया। पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई वादीगण अधिवक्ता उपस्थित हुए पत्रावली पर प्रस्तुत जवाब सरकार में वादीगण के वाद का कोई खंडन या विरोध नही किया गया ऐसी सूरत में पत्रावली पर तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है वादी वकील द्वारा बहस सुनी जाकर दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया। बहस वादी एक तरफा सुनी गई। बहस में वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्य को दोहराया जाकर दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया वादी का वाद उचित प्रतीत होता है।

Scanned with ACE Scanner

आदेश

अतः वादी का वाद आशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है। वाद ग्रस्त आराजी माल ग्राम सामरिया तहसील कनवास की खसरा न0 14/1 रकबा 2.29 है0, खसरा न0 443 /271 रकबा 0.48 है0 किता 2 की 2.71 है0 आराजी में वादीगण 1 ता 4 की 1/5 –1/5 का खातेदार घोषित किया जाता है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी यूबीआई दरा के रहन भार होने से उक्त रहन भार प्रतिवादी क्रम 2 के हिस्से में आई आराजी पर रहेगें तथा उपरोक्त वर्णित को रहन बेय, खुर्द बुर्द न करे।

निर्णय आज राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

Scanned with ACE Scanner

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

जीसीएमएस न0 2020/97
दावा संख्या 69/2020

निर्णय दिनांक 11.02.2023

1 हँसमुख पुत्र प्रेम सिह आयु 23 वर्ष जाति चारण
2 भारती बाई पुति प्रेम सिंह आयु 19 वर्ष जाति चारण
3 विशाल पुत्र प्रेम सिंह आयु 10 वर्ष नाबालिग 7 नाबालिग
4 ज्योति बाई प्रति प्रेम सिंह आयु 13 वर्ष नाबालिग
जर्ये वलि माता देवल बाई पत्नि प्रेम सिंह आयु 44 वर्ष जाति चारण
5 देवल बाई पत्नि प्रेमसिह आयु 44 वर्ष जाति चारण निवासी ग्राम सामरिया तहसील कनवास जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

1 रायसिंह पुत्र नारायणसिंह आयु 82वर्ष जाति चारण 7 निवासीगण
2 प्रेम सिंह पुत्र राय सिह आयु 50 वर्ष जाति चारण, ग्राम–सामरिया तहसील कनवास जिला कोटा (राज)
3 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री रेवतीरमण नागर।
प्रतिवादी 1 ता 2 के विरूद्ध एक तरफा।
प्रतिवादी न0 3 राज सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद इन्डाज दुरुस्ती एवं हक घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RT Act

मुकदमा नं. **101/21** सन **2022** तारीख फैसला **13.12.2022 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एउवोकेट श्री **रेवतीरमण नागर वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादीगण 1 ता 2 के विरूद्ध एकतरफा प्रतिवादी न0 3 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है वादी का वाद आशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है। वाद ग्रस्त आराजी माल ग्राम सामरिया तहसील कनवास की खसरा न0 14/1 रकबा 2.29 है0, खसरा न0 443 /271 रकबा 0.48 है0 किता 2 की 2.71 है0 आराजी में वादीगण 1 ता 4 की 1/5 –1/5 का खातेदार घोषित किया जाता है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी यूबीआई दरा के रहन भार होने से उक्त रहन भार प्रतिवादी कम 2 के हिस्से में आई आराजी पर रहेगें तथा उपरोक्त वर्णित को रहन बेय, खुर्द बुर्द न करे।

Scanned with ACE Scanner

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **11.02.2023** माह **फरवरी 2023** को जारी की गई।

मोहर ....

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	---------NIL-----		स्टाम्प वकालतनामा	-------NIL------	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

Scanned with ACE Scanner